

1[नियम 113क : अपील या अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील को वापस लेना

प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में फाइल की गई किसी अपील या जीएसटी एपीएल-07 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में धारा 113 की उपधारा (1) के अधिन आदेश जारी होने से पूर्व किसी भी समय आवेदक, यथास्थिति, उक्त अपील या आवेदन को वापस लेने के लिए जीएसटी एपीएल-05/07 डब्ल्यू प्ररूप में आवेदन फाइल कर सकेगा :

परंतु जब जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम अभिस्वीकृति जारी कर दी गई है तो, यथास्थिति, उक्त अपील या आवेदन को वापस लेना अपील अधिकरण के अनुमोदन के अध्यक्षीन होगा और अपील या आवेदन को वापस लेने के लिए ऐसे आवेदन का विनिश्चय, अपील अधिकरण द्वारा ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा :

परंतु यह और कि अपीलार्थी द्वारा ऐसे वापस लेने के अनुसरण में, यथास्थिति फाइल की गई नई अपील या आवेदन धारा 112 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा नियम 113क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।